

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/294

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रति प्र	218/24	26/6/24	10/7/24 12/8/24	10/7/24 2/8/24 12/8/24

अनवान

श्री हीरा पिता खया मीणा

श्री सुदेश पिता मंगीवाल
ब. ला. 15

निवासी कोस्या

निवासी दोरिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री सुनिश सुभाषी

श्री

फर्द अहकम

नियम 26

अज न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम





बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

हीरा

बनाम

मुकेश

किस्म मुकदमा धारा 111-128 नम्बर 218 सन 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/06 /...2024	<p>प्रार्थना पत्र सींगे से बाद जाँच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र विपक्षी/विपक्षीगणों को जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10/07/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा </p>	
10/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। तलबी वास्ते विपक्षीगणों की बाह तामील पत्र, जिनमें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में कुछ तलबी माफ़ेरा कारित किए गए। पत्रावली वास्ते नियम 218/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	
2/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता बादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 2-8-24 वास्ते नियम पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	
12/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में माफ़ेरा कारित किए गए। तदनुसार बिजौलिया को पत्रावली के लिए तहरीर जारी हो। पत्रावली फॉरवर्ड शुमार होकर नम्बर से कम होकर कारित पत्रावली हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 218/24

तारीख दायर 26/06/24

हीरा पिता रूपा जी जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थी

1. मुकेश पिता मांगीलाल जाति धाकड उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
2. बालु पिता घीसा दरोगा जाति दरोगा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
3. नोला पिता चतुर्भुज मीणा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
4. कैलाश पिता रूपा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:-आदेश:-

दिनांक :- 12/8/24

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री हीरा मीणा ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम कांस्या पटवार हल्का कांस्या कलां भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 16 पर स्थित आराजी संख्या 396/1 रकबा 0.4371 हैक्टेयर भुमि, स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम कांस्या पटवार हल्का कांस्या कलां भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 16 पर स्थित आराजी संख्या 396/1 रकबा 0.4371 हैक्टेयर भुमि की बशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।
आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- २१८/२४

तारीख दायर २६/०६/२४

प्रेषित :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या २१८/२४ प्रथमगढी बाबत।

हीरा पिता रूपा जी जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा राज०

.....प्रार्थी

१. मुकेश पिता मांगीलाल जाति धाकड उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
२. बालु पिता घीसा दरोगा जाति दरोगा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
३. नोला पिता चतुर्भुज मीणा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
४. कैलाश पिता रूपा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा राज०

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम
कांस्या पटवार हल्का कांस्या कलां भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील
बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या १६ पर स्थित आराजी संख्या ३९६/१ रकबा ०.
४३७१ हैक्टेयर भूमि, की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी
के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष
न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक
को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस ^{दिनांक} ~~दिनांक~~ कि जाती है वक्त मौके
पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए
पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट २० दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

